न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास एम.आर. बागडिया, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 78/13/ अं.धारा 131 भू.रा.अ.

परमेश्वरी देवी पत्नी श्री रामकरणदास स्वामी उम्र 55 वर्ष जाति दादूपंथी(स्वामी) नि. ग्राम सुलियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थीनी

बनाम

तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं.धारा 131 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थीया की ओर से

निर्णय दिनांक— 27.01.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में भूमि पुराने ख.नं. 1540 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा अवस्थित रही है जिसकी पश्चिमी सीमा पर सार्वजनिक रास्ते की भूमि पुराने खसरा नं. 1541 रकबा 15 बिस्वा अवस्थित रही है तथा उसके पश्चिमी दिशा में भूमि पुराना खसरा नं. 1543 अवस्थित रही है। भूमि पुराना खसरा नं. 1540 व 1543 के बीच अवस्थित सार्वजनिक रास्ते की भूमि खसरा नं. 1541 उतर से दक्षिणी सीधी अवस्था में दर्शित है। कालांतर में भूमि पुराना खसरा नं. 1540 में से दांता से रामगढ जाने वाली सड़क निकल गयी जिसके कारण उक्त भूमि जो सड़क में गयी को पुराना खसरा नं. 1540/2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में अंकित किये गये तथा शेष भूमि का पुराना खसरा नं. 1540/1 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया, परन्तु उपरोक्त खसरा नं. की पुरानी नक्शा सर्वे शीट में तरमीम नहीं की गयी। नये सैटिलमेंट (बंदोबस्त) के दौरान जो भूमि सड़क में गयी उसके नये खसरा नं. अन्य खसरा नम्बरों के मिलाते हुए 2070 रकबा 0.80 हैO राजस्व रिकार्ड में अंकित किये गये है तथा जो भूमि सड़क से पूरब दिशा में बची उसके नये खसरा नं. 1976 रकबा 2.01 हैO, 1977 रकबा 0.92 हैO व खसरा नं. 1978 रकबा 1.00 हैO राजस्व रिकार्ड में अंकित किये गये है। सड़क के पश्चिम दिशा में बची शेष भूमि के खसरा नं. 2079/2482 रकबा 0.14 हैO राजस्व रिकार्ड में अंकित किये गये है। प्रार्थीया

द्वारा दिनांक 03.12.12 को भूमि नया खसरा नं. 2079/2482 रकबा 0.14 है० तन ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर संपूर्ण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करके उक्त भूमि का व्यावहारिक एवं वास्तविक कब्जा प्राप्त कर लिया। उक्त भूमि मौके पर उबड़ खाबड़ होने की वजह से प्रार्थीया द्वारा उसमें मिट्टी भराव कार्य करके समतल बना लिया गया। प्रार्थीया आज दिन भी अपने खरीदशुदा रकबा 0.14 है० पर ही काबिज चली आ रही है। अभिनव भू प्रबन्ध के दौरान सड़क सीमा के पश्चिम दिशा में अवस्थित प्रार्थीनी की खरीदशुदा भूमि खसरा नं. 2079/2482 रकबा 0.14 है० तन ग्राम दांता की नक्शा सर्वेशीट में उक्त भूमि का नक्शा छोटा बना दिया तथा उक्त भूमि के पश्चिम दिशा मे अवस्थित भूमि पुराने खसरा नं. 1541 रकबा 15 बिस्वा से बनाये गये रास्ते के खसरा नं. 2070/2505 रकबा 0.09 है० का नक्शा भी पुराने नक्शे के अनुसार तैयार नहीं करके गलत रूप से उक्त रास्ते को पूर्वी दिशा की ओर दबता हुआ दिखते हुए उत्तर दिशा मे तो सर्वथा गलत रूप से पूर्वी दिशा की ओर तिरछा करते हुए सड़क मे मिलता हुआ दर्शित कर दिया गया जबकि पुराने खसरा नम्बर सर्वे शीट में रास्ता सीधा दर्शित किया हुआ है। सैटिलमेंट के दौरान पूर्व रिकार्ड को रिपीट करने हेतु बाध्य होते है उन्हें राजस्व रिकार्ड में मनमर्जी से परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 131 के अनुसार सैटिलमेंट की कार्यवाही पूरी हो जाने के पश्चात् किसी भूमि के नक्शे में रही गलती को दुरूस्त करने की अधिकारिता श्रीमान्‌जी को है इसलिए प्रस्तुत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रार्थीया को नये सैटिलमेंट के दौरान बनायी गयी गलत नक्शा सर्वे शीट के आधार पर दिनांक 27.12.12 को गलत रूप से धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत गलत नोटिस अप्रार्थी द्वारा जारी कर दिया जिसकी जानकारी प्रार्थीया को दिनांक 20.02.13 को होने पर नक्शा सर्वेशीट की नकल प्राप्त की गयी तो प्रार्थीया को उक्त गलती के बारे में ज्ञान हुआ और यह आवेदन पेश किया जा रहा हैं अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमियों नये खसरा नं. 2079/2482 रकबा 0.14 है० तथा 2079/2505 रकबा 0.09 है० की नयी नक्शा सर्वेशीट को पुरानी नक्शा सर्वेशीट के अनुसार दुरूस्त किये जाने की कृपा करें। आवेदन के साथ जमाबंदी ख.नं. 2079/2482, 2079/2505, 2071–2079, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि ख.नं. 1540–पुराना, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि ख.नं. 1541, नकल नक्शा ट्रेस नया व पुराना, नकल जमाबंदी पुराने ख.नं. 1540, नकल जमाबंदी पुराने ख.नं. 1540/1, नकल जमाबंदी ख.नं. 1541 पुराने की प्रतियां पेश की गई हैं

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से राजकीय पैराकार (नायब तहसीलदार) उपस्थित हुए एवं तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर की ओर से जवाब आवेदन पेश कर विशेष

कथन में निवेदन किया है कि ग्राम दांता की वर्तमान आराजी ख.नं. 2079/2505 रकबा 0.09 है0 गत खसरा नं. 1541 से बना है। गत खसरा नं. 1541 रकबा 15 बिस्वा गै.मु. रास्ता था। वर्तमान खसरा नं. 2079/2482 रकबा 0.14 है0 गत खसरा नं. 1540/1 मि से बना है। गत व हाल खसरा नं. का नक्शे से मिलान करने पर वर्तमान ख.नं. 2079 व 2071 में सलग्न नक्शे में लाल स्याही से डोटेड दिशाये अनुसार होना चाहिए जबकि वर्तमान नक्शे में रास्ते की गत के मुकाबले चौड़ाई कम कर दी गई है एवं गत नक्शे के अनुसार वर्तमान खसरा नं. 2071 में से होकर रास्ता होना चाहिये जबकि वर्तमान में रास्ते को खसरा नं. 2071 से दक्षिण में ही पूर्व की ओर से घुमाकर बंद कर दिया गया है। गत नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शे में यदि रास्ते का अंकन किया जाता है तो संलग्न वर्तमान नक्शे में लाल स्याही से डोटेड दिखाये अनुसार रास्ता कायम होता है। ख.नं. 2071 में वर्तमान में आबादी बसी हुई है। अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदक द्वारा पेश किया गया आवेदन अं.धारा 131 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रस्तावित रास्ते का अंकन नये नक्शे में किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

3. प्रार्थी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि प्रार्थीया द्वारा नया खसरा नं. 2079/2482 रकबा 0.14 है0 तन ग्राम दांता को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर वास्तविक कब्जा प्राप्त किया है। भू प्रबन्ध के दौरान सड़क सीमा के पश्चिम दिशा में अवस्थित प्रार्थीनी की खरीदशुदा भूमि ख.नं. 2079/2482 रकबा 0.14 है0 की नक्शा सर्वे शीट में उक्त भूमि का नक्शा छोटा बना दिया तथा उक्त भूमि के पश्चिम दिशा में अवस्थित भूमि पुराने खसरा नं. 1541 रकबा 15 बिस्वा से बनाये गये रास्ते के खसरा नं. 2070/2505 रकबा 0.09 है0 का नक्शा भी पुराने नक्शे के अनुसार तैयार नहीं करके गलत रूप से उक्त रास्ते को पूर्वी दिशा की ओर दबता हुआ दिखते हुए उतर दिशा में तो सर्वथा गलत रूप से पूर्वी दिशा की ओर तिरछा करते हुए सड़क में मिलता हुआ दर्शित कर दिया गया जबकि पुराने खसरा नम्बर सर्वे शीट में रास्ता सीधा दर्शित किया हुआ है। इसलिए ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ की तन में अवस्थित भूमियों नये खसरा नं0 2079/2482 रकबा 0.14 है0 तथा खसरा नं. 2079/2505 रकबा 0.09 है0 की नयी नक्शा सर्वे शीट को पुरानी नक्शा सर्वे शीट के अनुसार दुरूस्त फरमाया जावें।

4. हमने प्रार्थीनी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा दिये गये जवाब/रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। निर्णय से पूर्व रिपोर्ट/जवाब अधूरा होने से पुनः रिपोर्ट ली गई जो पत्रांक 110 दिनांक 27 जनवरी,14 के द्वारा प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम दांता तहसील दातारामगढ जिला सीकर की वर्तमान आराजी ख.नं. 2079/2482 रकबा 0.14 है0 एवं खसरा नं. 2079/2505 रकबा 0.

09 है0 की नयी सर्वे शीट को पुरानी सर्वे शीट के अनुसार दुरूस्त किये जाने से रास्ते की भूमि वर्तमान खसरा नं. 2079 में ही है तथा वर्तमान खसरा नं. 2079 के खातेदारों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। प्रार्थीनी की भूमि पुराने नक्शे के अनुसार दुरूस्त की जाती है तो रास्ता वर्तमान खसरा नं. 2079 में दुरूस्त होगा। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीनी नक्शा दुरूस्ती का आवेदन पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा दुरूस्ती किये जाने हेतु अभिशंषित किया गया है। प्रार्थीनी का राजस्व अभिलेख जमाबंदी में ख.नं. 2079/2482 रकबा 0.14 है0 सही मान रहे है केवल भूप्रबन्ध के दौरान सर्वे शीट में गलत अंकन किये जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः तहसीलदार, दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न नक्शा के अनुसार लाल स्याही से डोटेड लाईन दर्शित की गई है, उसी अनुसार वर्तमान खसरा नं. 2079/2482 रकबा 0.14 है0 एवं 2079/2505 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का भाग रहेगा। तदनुसार तरमीम हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

6. यह निर्णय आज दिनांक 27.01.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.आर. बागडिया)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ